

15/1/19

व्युत्पन्न उपर

जवाब की प्रति वकील प्राची को दी गई। पत्रावली प्रति वहम अन्तिम आवसत दिना जाफा दिनांक 5/1/19 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

5/1/19

व्युत्पन्न उपर

पत्रावली प्रति वहम प्रकटाफा दिनांक 7/3/19 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

7-3-19 व्युत्पन्न अनु०

वकील प्राची आज अनु० है वारवर आवेजे लागवरे गई। वकील प्राची स्वयं उपर गयी जाये नहीं प्राची की सचवाउनेके प्रतिनिधी उपर हुए हैं। इस प्रकार अनु० रहेसे प्राची का प्रकटाफा अदम हजरी अदम फेरी में स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली शुमार फौजदारी की जाका इस न्यायालय से नम्बर से कर हो।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

356
143-19

1/8/19

इस न्यायालय के द्वारा निर्दिष्ट रेटो रेशा/ प्रकटाफा पत्र सं० 44/2019 के निर्दिष्ट दिनांक 1-8-19 के अनुसरण में यह निर्दिष्ट पुनः वरामद किया जाने के आदेश दिनांक इसकी मालना में यह वरामदगी प्रकटाफा पत्र पुनरीवलोकन प्रकटाफा पत्र नम्बर या लिया जाता है तथा इस प्रकटाफा पत्र के संदर्भ में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट पत्रावली सं० 12/2016 हेमराज बगान परिषद की कार्यकारी निर्दिष्ट दिनांक 28-11-2017 को पुनः वरामद का नम्बर पर लिए जाते के आदेश कि जाते हैं पत्रावली रेकार्ड आरका से अग्यर जाका पुनः नम्बर पर ली जाये। पुनरीवलोकन सचवाली केने प्रकटाफा पत्र मूल पत्रावली सं० 1/2016 निर्दिष्ट दि० 28-11-2017 के संलग्न की जाये।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फौजदारी के नम्बर से कर हो।

जिला कलेक्टर, पाली

1298
24/8/19